न्यायालय सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री कुसुमलता चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 65/2021

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
श्रीमती हंजादेवी पुत्री खीमाजी पत्नी वागाराम जाति राव भाट निवासी खाण्डादेवल तहसील जसवन्तपुरा जिला जालोर		1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर जालोर 2. तहसीलदार रानीवाडा भूमिधारी राज्य सरकार

दावा खातेदारी हको की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति :-

1. वादीगण अधिवक्ता श्री भोपालसिंह राठौड़।
2. प्रतिवादी की ओर से राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा।

—: निर्णय :—

दिनांक 31.7.23

1. वादीया द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अंतर्गत धारा 88, 188 बाबत् खातेदारी हको की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सरहद मौजा सरहद मौजा धनवाड़ा तहसील रानीवाड़ा जिला जालोर के बमौहल्ला रेलीया में पुराने खसरा नंबर 267 रकबा 14 बीघा 1 विश्वा किस्म बारानी सोयम जिसके वर्तमान खसरा नंबर 408 रकबा 1.55 हेक्टेयर व खसरा नंबर 40.9 रकबा 0.61 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम की भूमि आई हुई है, जिसका वर्तमान राजस्व रेकर्ड में भूमिधारी/खातेदार राजस्थान सरकार दर्ज है, जिसे आगे विवादित भूमि संबोधित किया गया है। उपरोक्त विवादित आराजी प्रस्तावित वादीया की कदीमी से खुद काश्त आराजी है, जो वक्त प्रथम सेटलमेन्ट व उससे पूर्व वक्त रियासत काल से विवादित आराजी पर वादीया के पिता स्वर्गीय खीमा वल्द भोमाजी खुद काश्त थे, जो प्रथम सेटलमेन्ट में राजस्व दस्तावेजों में प्रस्तावित वादीया के स्वर्गीय पिता खीमा वल्द भोमाजी जाति भाट राव साकिन खाण्डादेवल दर्ज हुआ।

स्वर्गीय श्री खीमा वल्द भोमाजी के जीवनकाल में प्रस्तावित वादीया अपने सगे भाई शंकरा के साथ अपने पिता की उपरोक्त विवादित आराजी में काश्त करते थे। चूंकि शंकरा शारीरिक रूप से कमजोर था जिस वजह से अविवाहित रहा। इसी वजह से वादीया वाद विवाह अपने पति वागारामजी ... अपने शारीरिक रूप से कमजोर भाई शंकरा की देखरेख व सार संभाल ... पिता की उपरोक्त विवादित आराजी में काश्त करने हेतु अपने पिता के घर ... ही रही तथा अपने पिता के जीवनकाल में सेवा चाकरी की तथा बाद ... अपने पिता श्री खीमा ... अंतिम किया कर्म व सामाजिक रिति रिवाज का पालन व निर्वहन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.08.04 13:14:34 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलेक्टर रानीवाडा

2. स्वर्गीय श्री खीमा वल्द भोमाजी द्वितीय सेटलमेन्ट से पूर्व फौत हुआ जिस पर स्वर्गीय श्री खीमा के जायंदा पुत्र वारिस शंकरा पुत्र खीमा का नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 150 के राजस्व दस्तावेजों में इन्द्राज हुआ जिसकी टिप्पणी जमाबंदी संवत 2030 से संवत 2038 तक में दर्ज है। फोतगी श्री खीमा वल्द भोमा के वादीया व उसका सगा अविवाहित भाई शंकरा विवादित आराजी पर संयुक्त रूप से काबिज होकर खुद काश्त हुए परन्तु अज्ञानतावश राजस्व दस्तावेजों में वादीया के नाम संयुक्त रूप से इन्द्राज नहीं हुआ जो राजस्व विभाग की भूल है।

वादीया अपने अविवाहित सगे भाई शंकरा के जीवनकाल में शंकरा के सामलाती रहकर उपरोक्त विवादित आराजी पर अपने पति वागारामजी के सहयोग से खुद काश्त रही तथा शंकरा का लालन पोषण किया जबकि राजस्व दस्तावेजों में राजस्व कर्मचारियों की भूल से वादीया का नाम राजस्व दस्तावेजों में दर्ज नहीं किया तथा प्रस्तावित वादीया को कभी भी राजस्व दस्तावेजों की नकल की आवश्यकता नहीं होने तथा विवादित आराजी बारानी किस्म की होने से लगान माफ होने से राजस्व विभाग की भूल की जानकारी शंकरा के जीवनकाल में नहीं हो सकी तथा सेवन से वादीया का नाम विवादित आराजी के राजस्व दस्तावेजों में इन्द्राज नहीं हो सका।

शंकरा की फोतगी इस्वी सन 1990 में अर्थात संवत 2047 में हुई तथा बाद फोतगी श्री शंकरा वल्द खीमा को वादीया एकल रूप से विवादित आराजी पर काबिज होकर वर्तमान तक खुद काश्त है परन्तु राजस्व दस्तावेजों में वादीया का नाम इन्द्राज नहीं होने तथा श्री शंकरा पुत्र खीमाजी अविवादित लाऔलाद फौत होने तथा उसके कोई पुत्र ग्रहण नहीं करने से राजस्व दस्तावेजों में विरासत बाबत कोई नामान्तरकरण दर्ज नहीं हुआ।

3. फोतगी श्री शंकरा वल्द खीमाजी के हल्का पटवारी कथित रूप से एक झूठी मौका रिपोर्ट दिनांक 11.10.1991 को श्रीमान तहसीलदार साहब रानीवाड़ा के समक्ष पेश कर जाहिर किया कि उपरोक्त विवादित आराजी के राजस्व दस्तावेजों में इन्द्राज शंकरा वल्द खीमाजी का नाम का कोई व्यक्ति धनवाड़ा अथवा खाण्डादेवल ग्राम में नहीं है। जिस पर तहसीलदार साहब रानीवाड़ा द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/911/772 दिनांक 19.11.91 जारी कर श्रीमान तहसीलदार साहब भीनमाल को प्रेषित कर राजस्व दस्तावेजों में दर्ज श्री शंकरा वल्द खीमाजी भाट निवासी खाण्डादेवल तहसील भीनमाल(तत्कालीन) को तसदीक करने बाबत प्रेषित किया तथा उसी रोज श्रीमान तहसीलदार साहब, रानीवाड़ा द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/911/773 दिनांक 19.11.91 श्री शंकरा पुत्र खीमा कौम भाट/राव साकिन खाण्डादेवल के नाम बाबत उपस्थिति होने अदालत प्रेषित किया परन्तु उपरोक्त क्रमांक के दोनों पत्र महज फाइल मेंदर्ज रहे जिनकी कोई तामील नहीं करवायी।

उपरोक्त क्रमांक के नोटिस जारी करने की खानापूर्ति करने के बाद हल्का पटवारी की फर्जी रिपोर्ट पर श्रीमान तहसीलदार साहब रानीवाड़ा द्वारा खातेदार द्वारा खातेदारी हक परित्याग बाबत घोषणा बरखिलाफ श्री शंकरा वल्द खीमा जाति भाट (राव) निवासी खाण्डादेवल खातेदार आसामी के [illegible] नोटिस बोर्ड तहसीलदार कार्यालय रानीवाड़ा ग्राम पंचायत आल[illegible] चौहटा धनवाड़ा के नाम क्रमांक/राजस्व/911/873–875 दिनांक 20.12.92 [illegible] किया गया तथा आम चौहटा खाण्डादेवल अथवा तहसीलदार [illegible] (तत्कालीन तहसील) के नाम कोई घोषणा जारी नहीं की गई तथा ना ह[illegible]सी कोई तामील ग्राम खाण्डादेवल अथवा तहसीलदार कार्यालय भीनमाल के नाम जारी हुई हो तमाम कार्यवाही एकतरफा एवं

न्यायालय सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला-जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.08.04 13:14:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर रानीवाड़ा

कार्यालय पत्रावली की खानापूर्ति हेतु की गई तथा इस प्रकार की तमाम कार्यवाही से पिडीत पक्षकार वादीया अनभिज्ञ रहीं।

4. उपरोक्त सम्पूर्ण एकतरफा कार्यवाही अमल में लेने के पश्चात हल्का पटवारी द्वारा अदालत श्रीमान तहसीलदार साहब, रानीवाड़ा में मुकदमा संख्या 1/92 अनवान राज. सरकार बनाम श्री शंकरा पुत्र खीमा कौमा भाट साकिन खाण्डादेवल अन्तर्गत धारा 61 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत भूमि परित्याग दर्ज किया गया जिसकी कोई तामील श्री शंकरा अथवा उसके वारीसान के नाम कभी भी जारी नहीं हुई तथा ना ही कोई तामील रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है। इस प्रकार हल्का पटवारी द्वारा द्वेषतापूर्वक एकतरफा कार्यवाही अमल में लाने से दिनांक 27.4.1992 को उपरोक्त विवादित आराजी को राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज की गई जबकि वादीया विवादित आराजी पर कदीमी से काबिज होकर खुद काश्त है जो वादीया खातेदारी हक प्राप्त करने की वैधानिक तौर पर अधिकारी है जिस हेतु वादीया का वाद बाबत खातेदारी हक व स्थायी निषेधाज्ञा बरखिलाफ राजस्थान सरकार पेश करने की अधिकारी है।

आज से करीब दो माह पूर्व वादीया अपनी विवादित आराजी में बोई सावणु फसल का बीमा करवाने की गरज से हल्का पटवारी कार्यालय गई तथा अपनी उपरोक्त विवादित आराजी के राजस्व दस्तावेजों की नकल चाही तो हल्का पटवारी द्वारा उपरोक्त विवादित आराजी सरकारी खाते में दर्ज होने की जानकारी दी तथा वादीया को विवादित आराजी से कब्जा छोड़ने की हिदायत दी अन्यथा बेदखल करने की धमकी दी परन्तु वादीया विवादित आराजी की कदीमी से खुद काश्त है जिसे राजस्व कर्मचारियों द्वारा बेदखल नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का पूरा हक प्राप्त है, जिस हेतु वादीया का वाद बाबत प्रदान करने खातेदारी हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा पेश है।

5. वादकरण प्रथम बार तब पैदा हुआ जब वक्त रियासत काल एवं वक्त प्रथम सेटलमेंट के विवादित आराजी पर वादीया के पिता स्व. खीमा वल्द भोमा खुद काश्त होने से राजस्व दस्तावेजों में खातेदार दर्ज हुआ फिर फोतगी श्री खीमा वल्द भोमाजी के वक्त राजस्व दस्तावेजों में वादीया का नाम बतौर विरासत के नामान्तरकरण दर्ज नहीं हुआ फिर शंकरा की फोतगी पर वादीया शंकरा की एकमात्र वारिस होने के बावजूद भी वादीया का नाम राजस्व दस्तावेजों में दर्ज नहीं किया तथा अंतिम बार जब पैदा हुआ जब आज से करीब एक माह पूर्व वादीया द्वारा उपरोक्त विवादित आराजी के राजस्व दस्तावेजों की नकले प्राप्त करने पर सम्पूर्ण प्रकरण की जानकारी हुई जो वादकारण निरंतर जारी है।

6. वादीया द्वारा वादपत्र में अनुसार इस्तदुआ है कि सरहद मौजा धनवाड़ा तहसील रानीवाड़ा के पुराने खसरा नंबर 267 रकबा 14 बीघा 1 विश्वा किस्म बारानी सोयम जिसके नये खसरा नंबर 408 रकबा 1.55 हेक्टेयर व खसरा नंबर 409 रकबा 0.61 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम की आराजी के खातेदारी हक वादीया के नाम जारी फरमाकर राजस्व दस्तावेजों में वादीया के नाम इन्द्राज करने हेतु प्रतिवादीगण को निर्देशित किया जावे। साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीया खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की फरमायी जावे कि सरहद मौजा धनवाड़ा तहसील रानीवाड़ा जिला जालोर के पुराने खसरा खसरा नंबर 267 रकबा 14 बीघा 1 विश्वा किस्म बारानी सोयम जिसके नये खसरा नंबर 408 रकबा 1.55 हेक्टेयर व खसरा नंबर 409 रकबा 0.61 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम की आराजी के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण ना तो स्वयं एव ना ही अन्य किसी के जरिये दखल अन्दाजी करे और ना ही करावे।

न्यायालय सहायक कलक्टर रानीवाड़ा जिला जालोर सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.08.04 16:14:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर रानीवाड़ा

7. वादीया का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गए। प्रतिवादीगण की ओर से राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जवाब दिया गया।

8. प्रतिवादी राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जवाब पेश किया गया जिनके तथ्य इस प्रकार है कि पैरा नम्बर 1 मौजा धनवाडा के खसरा नम्बर 408 रकबा 1.55 हैक्टेयर खसरा नम्बर 409 रकबा 0.61 हैक्टेयर वर्तमान में खाता संख्या 1 में दर्ज है। पैरा संख्या 2 का जवाब इस कदर है कि सवंत 2011 से 2029 की जमाबंदी संलग्न है। पैरा संख्या 3 का जवाब इस कदर है। वादिया स्वयं सिद्व करे। पैरा संख्या 4 का जवाब इस कदर है वादिया स्वयं सिद्व करें। पैरा नम्बर 5 का जवाब इस कदर है कि नामान्तंकरण की प्रति संलग्न है। पैरा संख्या 6 का जवाब इस कदर है कि वादिया स्वयं सिद्व करें। शेष कानूनीय है। पैरा संख्या 7 जमाबंदी संलग्न है। पैरा संख्या 8 व 9 कानूनीय है। पैरा संख्या 10 से 13 का जवाब आदेश की प्रति संलग्न है। पैरा संख्या 14 का जवाब इस कदर है कि वर्तमान में उक्त आराजी खाता संख्या 1 में दर्ज है। पैरा संख्या 15 का जवाब इस कदर है कि नामान्तरकरण की प्रति संलग्न है शेष कानूनीय है। यह है कि पैरा संख्या 16 से 19 माननीय न्यायालय से संबंधित है।

9. वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों एवं प्रतिवादी राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा के जवाब व संलग्न दस्तावेजों के आधार पर निम्न तनकीयात कायम एक्सप्लेन की गई।

   1. आया कि वादीया स्व. खीमा वल्द भोमाजी की पुत्री होने व शंकरा वल्द खीमा की एकमात्र वारिस होने से विवादीत आराजी मौजा धनवाडा के खसरा नम्बर 408 व 409 रकबा 1.55, 0.61 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में खातेदारी घोषणा करवाने की अधिकारी है।.........................जिम्मे वादीया
   2. आया वादीया उक्त विवादीत आराजी खसरा नम्बर 408 व 409 रकबा 1.55, 0.61 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम पर शांति पूर्वक उपयोग उपभोग एवं कब्जा काश्त में प्रतिवादी के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा पाने की अधिकारी है।....................जिम्मे वादीया
   3. आया कि मौजा धनवाडा के खसरा नम्बर 408 रकबा 1.55 हैक्टेयर, खसरा संख्या 409 रकबा 0.61 हैक्टेयर वर्तमान में खाता संख्या 1 में दर्ज होने से वादीया खातदेारी हकों की घोषणा करवाने की अधिकारी नही है।..जिम्मे प्रतिवादी

10. वादीया द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन मौजा धनवाडा के खसरा संख्या 267 की खतौनी बन्दोबस्त सवंत 2011 से 2029 की प्रमाणित प्रति Exp- 1, मौजा धनवाडा के खसरा संख्या 408, 409 की जमाबंदी सवंत 2046 से 2065 की प्रमाणित प्रति Exp- 2, मौजा धनवाडा के खसरा संख्या 408, 409 की जमाबंदी सवंत 2048 से 2051 की प्रमाणित प्रति Exp- 3, नामान्तरकरण संख्या 25 की प्रमाणित प्रति जो खसरा संख्या 408 व 409 का राजस्थान सरकार के पक्ष में भरा गया Exp- 4, जमाबंदी सवंत 2030 से 2032 की प्रमाणित प्रति Exp- 5, मिलान क्षैत्रफल Exp- 6, न्यायालय तहसीलदार रानीवाडा के प्रकरण संख्या 1/91 की आदेशिका, उक्त प्रकरण के संबंध [illegible] की प्रमाणित प्रति Exp-7 से 9, तहसीलदार रानीवाडा का प्रत्रांक/राजस्व/9[illegible]772[illegible]73, 297, 81 की प्रमाणित प्रति Exp-10 से 13, धारा 80 सीपीसी के नोटिस की प्रति [illegible]p- 14, वादीया हंजा की मतदाता पर्ची की फोटो प्रति Exp-15A, परिवार कार्ड की फोटोप्रति Exp-16A व ,परिवार राशन कार्ड की फोटोप्रति Exp-17A आदि दस्तावेज पेश [illegible] प्रदर्श करवाये गए। तथा वादीया द्वारा वादीया स्वयं ,गोकलसिंह पुत्र देवीसिंहजी जाति रावणा राजपूत निवासी धनवाडा व

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.08.04 13:14:34 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर रानीवाड़ा जिला जालोर
सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर रानीवाड़ा

दरगाराम पुत्र अदराजी जाति भील निवासी धनवाडा के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत प्रस्तुत किये गए। वादीया स्वयं के बयान करवाए गए। जिसकी जिरह राजपेरोकार द्वारा नहीं करने पर बंद कि गई। व शेष गवाह कि बयान वादीया के अधिवक्ता द्वारा नहीं करवाए गए।

11. प्रतिवादीगण की ओर से राजपेरोकार द्वारा अपने जवाब दावे के समर्थन में मौजा धनवाडा के खसरा संख्या 408, 409 की जमाबंदी संवत 2076 से 2079, 2050 से 2051, 2046 से 2065, 2056 से 2059, 2060 से 2063, 2064 से 2067 की प्रमाणित प्रति, खतौनी बंदोबस्त खसरा संख्या 267 की सवंत 2011 से 2029 की प्रमाणित प्रति, नामान्तरकरण संख्या 25, 114, 189 की प्रमाणित प्रति व न्यायालय तहसीलदार रानीवाडा के पत्रांक/राजस्व/91, 772, 773, 297, 81, 111 की फोटोप्रति पेश की गई। तथा प्रतिवादी राजपेरोकार की ओर साक्ष्य नही करवाई गई।

12. हमने वादीया के विद्वांन अधिवक्ता व विद्वांन राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का भली–भांति अध्ययन कर किया एवं बहस तथ्यों पर मनन किया गया। अतः तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है।

तनकी संख्या–1

वादीया स्व. खीमा वल्द भोमाजी की पुत्री होने व शंकरा वल्द खीमा की एकमात्र वारिस होने से विवादीत आराजी मौजा धनवाडा के खसरा संख्या 408 व 409 रकबा 1.55, 0.61 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में खातेदारी घोषणा करवाने के संबंध में वादीया द्वारा वादपत्र में प्रदर्श 1 खतौनी बन्दोबस्त सवंत 2011 से 2029 मौजा धनवाडा के खसरा संख्या 267 रकबा 14 बिस्वा 1 बिघा किस्म बारानी सोयम में भोक्ता का नाम भूरसिंह जागीदार व उपभोक्ता का नाम खीमा वल्द भोमा कौम भाट सा. खाण्डादेवल खातेदार दर्ज है। उक्त आराजी की जमाबंदी सवंत 2030 से 2032 प्रदर्श 5 में भी खीमा पि. भोमा कौम भाट सा0 खाण्डादेवल दर्ज है। उक्त आराजी के मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 6 के अनुसार पूराने खसरा नम्बर 267 रकबा 14 बीघा 1 बिस्वा में से नवसृजित खसरा नम्बर 408 रकबा 1.55 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 409 रकबा 0.61 हैक्टेयर बने है। मौजा धनवाडा की जमाबंदी सवंत 2046 से 2065 प्रदर्श 2 में उक्त आराजी खसरा संख्या 408, 409 रकबा क्रमश 1.55, 0.61 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम शंकरा वल्द खीमा कौम भाट सा0 खाण्डादेवल खातेदार के नाम से दर्ज है। इसी प्रकार जमाबंदी सवंत 2048 से 2051 प्रदर्श 3 के अनुसार भी उक्त विवादीत आराजी शंकरा वल्द खीमा कौम भाट सा0 खाण्डादेवल खातेदार के नाम से दर्ज है।

इसके बाद में उक्त विवादीत आराजी पर पटवारी हल्का आलडी द्वारा मौजा धनवाडा के खसरा संख्या 408 रकबा 1.55 बारानी सोयम एवं खसरा संख्या 409 रकबा 0.61 हैक्टेयर बारानी सोयम मुताबित रेकर्ड के शंकरा वल्द खीमा कौम भाट सा0 खाण्डादेवल खातेदार दर्ज है। मेरी जानकारी के अनुसार इस नाम का कोई कृषक नही है तथा खाण्डादेवल में इस नाम का कोई व्यक्ति नही होने से आवश्यक कार्यवाही करवाने बाबत रिपोर्ट तहसीलदार रानीवाडा को पेश की गई। न्यायालय तहसीलदार रानीवाडा द्वारा अन्तर्गत धारा 61 राजस्थान काश्त. अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण संख्या 01/1991 दर्ज रजिस्टर कर हल्का पटवारी से बयान व कब्जे संबंधी रिपोर्ट ली जाकर दिनांक 27.04.1992 को निर्णय पारित किया जिसमें उक्त विवादीत आराजी को अंतर्गत धारा 61 आर.टी.एक्ट के तहत भूमि को राजहित में अधीग्रहित की गई व कब्जा राजहक में लिया गया। जिसकी पुष्टि दस्तावेज प्रदर्श 7 से 13 के द्वारा होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.08.04 13:14:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर रानीवाडा

न्यायालय तहसीलदार रानीवाडा के निर्णय की पालना में हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरण संख्या 25 खोला गया जो प्रदर्श 4 है। जिसके अनुसार खसरा संख्या 408, 409 जूमले रकबा 2.16 हैक्टेयर आराजी पर शंकरा वल्द खीमा कौम भाट सा0 खाण्डादेवल खातेदार के स्थान पर राजस्थान सरकार दर्ज किया गया व कॉलम संख्या 14 में भूमि परित्याग मु. न. 01/91 सरकार बनाम श्री शंकरा वल्द खीमा कौम भाट सा0 खाण्डादेवल अन्तर्गत धारा 61 भूमि परित्याग निर्णय ता. 27.04.92 क्रमाक/राज/92/297 दिनांक 27.04.92 की अनुपालना में भूमि राजहित में अधिग्रहित कर नामान्तरकरण खोला जाना अंकित किया गया है। जिसे दिनांक 18.05.92 में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके आधार पर उक्त विवादीत आराजी आगे राजस्व रेकर्ड में खाता संख्या 1 राजरथान सरकार के नाम दर्ज की गई।

वादीया द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र में वादपत्र के तथ्यों का समर्थन किया गया है व शपथ पत्र में कथन किया कि मै अपने सगे भाई शंकरा के साथ अपने पिता की उपरोक्त विवादीत आराजी में काश्त करते थे। मेरा भाई शंकरा शारिरिक रूप से कमजोर था। तो मै मेरे विवाह उपरान्त मेरे पति वागाराम के साथ अपने पिता के घर पर ही रही। मै अपने अविवाहित सगे भाई शंकरा के जीवनकाल में शंकरा के सामलाती रहकर उपरोक्त विवादीत आराजी पर अपने पति वागाराम के सहयोग से खुद काश्त रही तथा शंकरा का पालन पोषण किया जबकि राजस्व दस्तावेजों में राजस्व कर्मचारियों की भूल से मेरा नाम राजस्व दस्तावेजों में दर्ज नहीं किया जिसकी जानकारी शंकरा के जीवनकाल में नहीं हो सकी तथा सेवन से मेरा नाम विवादीत आराजी के राजस्व दस्तावेजों में इन्दाज नहीं हो सका। मेरे भाई शंकर की फौतेदगी सन 1990 में अर्थात विक्रम सवंत 2047 में हुई तथा फोतगी मेरे भाई शंकरा की आराजी पर मै एकल रूप से विवादीत आराजी पर काबिज होकर वर्तमान में खुद काश्त हूं, परन्तु राजस्व दस्तावजों में विरासत बाबत कोई नामान्तरकरण दर्ज नही हुआ। अतः मेरे वादपत्र की इस्तदुआ माफिक उक्त विवादीत आराजी के खातेदारी हकों की घोषणा की जावें। वादीया के स्व. खीमा पुत्र भोमाजी की जायन्दा पुत्री होने के सबूत के तौर पर मुझ वादीया के दस्तावेज संलग्न साक्ष्य पेश है।

वादीया द्वारा प्रस्तुत मतदाता पर्ची प्रदर्श 15 ए के अनुसार वादीया भीनमाल विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्द्र 184 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नया भवन दाया कमरा खाण्डादेवल की मतदाता है। जिसमे वादीया के संबंधी का नाम खीमा दर्ज है। वादीया की आयु 73 वर्ष दर्ज की हुई है। प्रदर्श 16 ए परिवार कार्ड में कार्ड संख्या 2533 दर्ज है। ग्राम पंचायत का नाम गजीपूरा वादीया का नाम हन्जादेवी /खीमाजी राव मु.पो. खाण्डादेवल अंकित किया हुआ है। प्रदर्श 17 ए परिवार राशन कार्ड है जिसकी संख्या 008935200869 अंकित है, जो पंचायत समिति जसवंतपुरा, ग्राम पंचायत गजीपुरा , मुखिया का नाम हन्जादेवी व पिता का नाम खीमाजी व पूरा पता हन्जादेवी, खीमाजी ,खाण्डादेवल, गजीपुरा, जसवतंपुरा , जालोर अंकित किया हुआ है।

वादीया द्वारा प्रस्तुत उक्त दस्तावेज प्रदर्श 15 ए से 17 ए व वादीया द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्रों के आधार पर वादीया [illegible] स्व. शंकरा वल्द खीमा की वारिस होना साबित होता है। उक्त विवादीत आराजी जमाबंदी प्रदर्श 1 व प्रदर्श 5 में वादीया के पिता स्व. खीमा वल्द भोमा कौम भाट सा0 खाण्डादेवल खातेदार के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उसके उपरांत [illegible] शंकरा वल्द खीमा कौम भाट सा0 खाण्डादेवल खातेदार के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी प्रदर्श 2 व 3 में दर्ज है। इस प्रकार वादीया स्व. खीमा पुत्र भोमा व शंकरा पुत्र खीमा की उत्तराधिकारी होने से उक्त आराजी वादीया की पैतृक व पूश्तैनी आराजी है। उक्त विवादीत आराजी पर खीमा वल्द

सहायक कलेक्टर रानीवाड़ा जिला-जालोर
सत्यमेव जयते

सहायक कलेक्टर रानीवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.08.04 13:14:34 IST
Reason: SelfAttested

भोमा की उत्तराधिकारी वादीया हंजादेवी होने पर भी न्यायालय तहसीलदार रानीवाडा द्वारा वादीया को बिना सूनवाई के अवसर दिये धारा 61 राजस्थान काश्तकारी अधि. के तहत उक्त विवादीत आराजी को राजहित मे अधिग्रहित किया गया था। जिसकी पालना में प्रदर्श 4 नामान्तरकरण खोला जाकर उक्त आराजी में राजस्थान सरकार के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया। जो न्यायसगंत प्रतीत नहीं होता है।

इस प्रकार वादीया स्व. खीमा वल्द भोमाजी की पुत्री व शंकरा वल्द खीमा की एकमात्र उत्तराधिकारी वारिस होने उक्त विवादित आराजी खसरा संख्या 408, 409 पर वादीया को खातेदारी अधिकारो की घोषणा किया जाना न्यायसगंत प्रतीत होता है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर तनकी संख्या 1 वादीया के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2

इस संबंध में तनकी सं. 1 के विस्तृत विवेचनानुसार वाद का वादीया के पक्ष में निर्णित होन पर वादिया स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारीणी होना सिद्ध होता है। अतः उक्त तनकी भी वादिया के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3

इस संबंध में तनकी संख्या 1 के विस्तृत विवेचनानुसार तनकी संख्या 1 वादीया के पक्ष में निर्णित होने से उक्त तनकी संख्या 3 भी वादिया के पक्ष में निर्णित की जाती है।

13. उपर्युक्त तनकीवार विवेचन व विश्लेषण के आधार पर वादीया का वाद स्वीकार रूप से स्वीकार करने योग्य है।

–: आदेश :–

14. अतः वादीया का वाद उपरोक्त तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। मौजा धनवाडा पटवार हल्का रोपसी के वर्तमान खसरा नम्बर 408, 409 रकबा कमश 1.55, 0.61 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम आराजी पर वादीया के खातेदारी हको की घोषणा की जाती है। वादीया के हिस्से की आराजी में प्रतिवादी किसी प्रकार से इनके कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करेगे। इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादी के विरूद जारी की जाती है। पक्षकारन अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्त आशय की डिक्री पर्चा जारी होकर तहसीलदार रानीवाडा को पालना हेतु निर्णय की प्रति मय डिक्री पर्चा भिजवायी जाए।

न्यायालय सहायक कलेक्टर रानीवाड़ा जिला–जालोर सत्यमेव जयते

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलेक्टर
रानीवाडा (एस.डी.ओ.) रानीवाडा

निर्णय आज दिनांक 31.7.23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर से सरे इजलास सूनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.08.04 13:14:34 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर रानीवाड़ा जिला–जालोर सत्यमेव जयते

सहायक कलेक्टर
रानीवाडा (एस.डी.ओ.) रानीवाडा

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix "D"-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौंहान, आर.ए.एस.

वादीया		प्रतिवादीगण
श्रीमती हंजादेवी पुत्री खीमाजी पत्नी वागाराम जाति राव भाट निवासी खाण्डादेवल तहसील जसवन्तपुरा जिला जालोर	बनाम	1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर जालोर 2. तहसीलदार रानीवाडा भूमिधारी राज्य सरकार

अन्तर्गत धारा 88,188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 65/2021

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादीया की ओर से वकील श्री भोपालसिंह राठौड़ उपस्थित, व प्रतिवादी राजपेरोकार उपस्थित। मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीया का वाद तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। मौजा धनवाडा पटवार हल्का रोपसी के वर्तमान खसरा नम्बर 408, 409 रकबा कमश 1.55, 0.61 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम आराजी पर वादीया के खातेदारी हको की घोषणा की जाती है। वादीया के हिस्से की आराजी में प्रतिवादी किसी प्रकार से इनके कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करेगे। इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादी के विरूद जारी की जाती है। इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादी के विरूद जारी की जाती है। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 31.7.23 को जारी की गई।

(कुसुमलता चौंहान)

सहायक कलेक्टर

(एस.डी.ओ.) रानीवाडा

मुददई	रूपया	पैसा	मुददयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	0	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	जवाबदावा	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीष्नर	0	00	फीस कमीष्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	3	00	मौजाना	0	00

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.08.04 13:14:34 IST
Reason: SelfAttested